न्यास पत्र

न्यास का नाम स्व0 प्रताप सिंह फतेरिया एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट हम कि विजेंद्र बहादुर सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूं :– मुख्य न्यासी।

एम विजेंद्र बहादुर सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। (एम मुख्य न्यासी)

विदित हो कि पता कारों सार्वजनिक शिक्षा चिकित्सा एवं शिक्षा प्रसार हेतु एक न्यास का गठन किया है जो निम्न है :–

1. यह कि न्यास का गठन अंकन रूपया 5000 मात्र से आरम्भ किया जा रहा है।

2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास का रिकार्ड कार्यालय नगर पंचायत मोहल्ला 21 जवाहर नगर बहुआ में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्यों का सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा उसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति एवं बावत इसके कार्यालय की देश व प्रदेश की राजधानी व अन्य स्थानों पर स्थापना की जायेगी और उन कार्यालयों के पतों पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का कार्यालय भी आवश्यकतानुसार भी खोला जा सकेगा।

3. यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य न्यासी होंगे तथा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों को कि न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यास न्यासी के रूप में कार्य करने को सहमत है। न्यास का न्यासी नामित करता हूं इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा तथा मुख्य न्यासी व न्यासियों को संयुक्त रूप से न्यासी मण्डल कहा जायेगा।

364 ... 100 रु

जितेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व.
श्री प्रताप सिंह नि० पहुजा
22-11-07 पो. [illegible]
नया पत [illegible]

31-3-20[illegible] ... 2011 तक

Scanned with OKEN Scanner

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. R̶s 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

2

1. विजेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का हूँ।
2. जितेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री स्व0 श्री प्रताप सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का हूँ।
3. श्रीमती कमला देवी पत्नी विजेन्द्र बहादुर सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश की हूँ।
4. श्रीमती शशि सिंह पत्नी जितेन्द्र बहादुर सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश की हूँ।
5. अजय प्रताप सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र बहादुर सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला गांधी नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का हूँ।
6. स्मिता सिंह पत्नी श्री अजय प्रताप सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला गांधी नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश की हूँ।
7. आदित्य प्रताप सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र बहादुर सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का हूँ।
8. अभय प्रताप सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला 21 जवाहर नगर जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का हूँ।

विजेन्द्र बहादुर

Scanned with OKEN Scanner

362 [illegible] 1002 विजेन्द्र सिंह

22-11-07

31-3-2003 [illegible]

लेख पत्र

5,000 [illegible]

100.00	20	120.00	800
[illegible]	[illegible]	योग	[illegible]

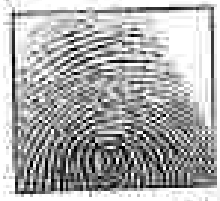

[illegible] की गति
श्री / श्रीमती विजेन्द्र बहादुर सिंह
पुत्र / पत्नी श्री [illegible] सिंह
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी 21 [illegible] नगर बहुआ [illegible] फतेहपुर
अस्थायी पता [illegible]
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 22/11/2007 समय 6:04PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

डॉ0 [illegible] सिंह
उप निबन्धक
सदर फतेहपुर
22/11/2007

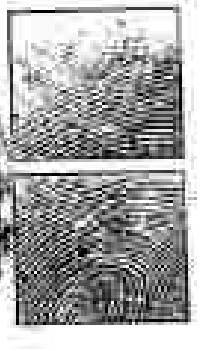

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
[illegible]
श्री/श्रीमती विजेन्द्र बहादुर सिंह
पुत्र/पत्नी श्री [illegible] सिंह
पेशा व्यापार
निवासी 21 [illegible] नगर बहुआ [illegible] फतेहपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री [illegible] सिंह
पुत्र श्री [illegible] सिंह
पेशा व्यापार
निवासी [illegible] बहुआ [illegible]
व श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible] सिंह
पेशा व्यापार
निवासी [illegible] बहुआ [illegible]
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

डॉ0 [illegible] सिंह
उप निबन्धक
सदर फतेहपुर
22/11/2007

Scanned with OKEN Scanner

न्यास के उद्देश्य निम्न लिखित है :-

1. समाज के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
2. निर्बल एवं असहायों के उत्थान में सहयोग करने के लिये प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाना तथा संचालित करना।
3. अकाल भूखा बाढ़ तथा सम्प्रदायिक एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्य करना।
4. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जाग्रत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना।
5. आमजन को परिश्रम करके धन अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना तथा युवाओं व शिक्षित बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये विभिन्न योजनाओं का संचालन करना।
6. समाज के लोगों के लिये उनके उत्थान से सम्बन्धित समस्त कार्य जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को गतिशील करने व स्थानीय समस्याओं को दूर करने में सहयोग दे, आयोजित कर सामाजिक जागरूकता पैदा करना।
7. नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, इन्जीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, प्रबन्धन, विज्ञान, नर्सिंग इत्यादि कालेज की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
8. वर्तमान समय में विज्ञान के जनजीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण इससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
9. न्यास के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में महिला कल्याण केन्द्र, वाचनालय एवं अन्य कल्याण केन्द्रों की स्थापना करना।
10. सदस्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण हेतु समय-समय पर खेलकूद तथा सांस्कृतिक, शैक्षणिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर विचार गोष्ठी का आयोजन करना।

Scanned with OKEN Scanner

367

100 रु

विनोद बहादुर सिंह

22-11-07

न्यास पत्र

न्यासी

Registration No 37 Year 2007 Book No 4

0101 विनोद बहादुर सिंह

[illegible]

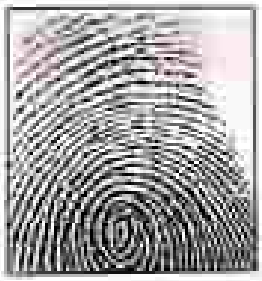

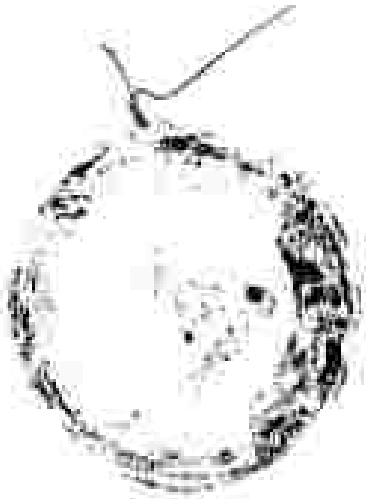

21 [illegible]

[illegible]

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

R. 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

11. सदस्यों में सहकारिता एवं सहभागिता की भावना को विकसित करना।
12. निराश्रित अनुसूचित, अनुसूचित जन जाति पिछड़े एवं गरीब व असहाय बच्चों के लिये उच्च तकनीकी शिक्षा कम खर्च में उपलब्ध कराना।
13. सामाजिक असमानता को मिटाने के लिये धार्मिक तथा समाज सुधार के कार्यक्रमों को आयोजित करना तथा इस हेतु कैम्प एवं सेमिनार का आयोजन करना।
14. युवकों के कल्याण हेतु तथा समग्र प्रयास करना एवं उनके लिए विविध कार्यक्रमों का संचालन करना तथा सब स्तर के छात्रों एवं छात्राओं के अध्ययन एवं आवास की समस्या के निराकरण हेतु छात्रावासों का निर्माण करना।
15. भारतीय नागरिकों के कल्याणार्थ ऐसे सभी कार्य करना जो न्यास मण्डल संकल्पित करे जैसे मद्यपान निषेध कार्यक्रम, परिवार नियोजन एवं एड्स रोग की रोकथाम, विकलांगता दूर करना, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, महिला उत्थान के कार्यक्रम इत्यादि।
16. पर्यावरण सुरक्षा से सम्बन्धित हर सम्भव प्रयास करना। प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था तथा पशु पक्षियों एवं अन्य जानवरों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु प्रयास करना।
17. पीड़ित व्यक्तियों को सर्वसुलभ/सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये चिकित्सालय की स्थापना व संचालन करना तथा इससे संबंधित विभिन्न विधाओं की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये चिकित्सकीय महाविद्यालयों की स्थापना करना।
18. अन्धापन, पोलियो, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, कैन्सर एवं एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धित कार्यों को करना तथा उक्त रोगों से बचाव के लिये जागरूकता अभियान चलाना।
19. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार के लिये सम्बन्धित समस्त कार्यों को करना तथा विभिन्न स्तर की तकनीकी शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिये तकनीकी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना।

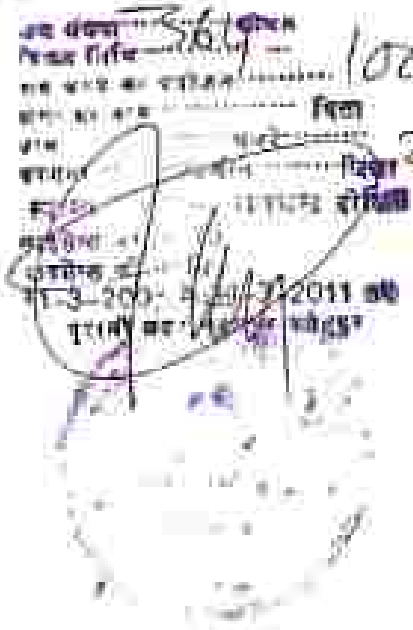

2011

जिला

1005 रु विजेन्द्र बहादुर सिंह

22-11-07

न्याय पत्र

Scanned with OKEN Scanner

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

5

20. समान उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करने तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

21. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाईयों की सुचारू व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।

22. न्यास की अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिये समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली उपनियमों का गठन करना।

23. न्यास की अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रतिमानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि निर्धारित करना तथा उनकी प्रबंध इकाईयां गठित करना।

24. न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

25. न्यास की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तांतरित करना।

26. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसकी संचालन के वास्ते गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित करना।

27. न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना और उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

28. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी विभागों से दान, उपहार अनुदान व अन्य रूप में धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास के लिये सम्पत्ति की व्यवस्था करना और आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।

29. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यास मण्डल द्वारा संकलित समस्त कार्यों को करना।

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक 3.6
जिला
जिला
परिचित
17-3-2007 से ...-2011 तक

100/- विजेन्द्र बहादुर सिंह
22-11-07
- पास पत्र

Scanned with OKEN Scanner

6

6. न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी।

न्यास का गठन एवं संचालन :-

क. न्यास के मुख्य न्यासी आजीवन अध्यक्ष एवं प्रबन्धक होंगे जिन्हें अपने जीवन काल में अगले मुख्य न्यासी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में इस प्रकार अगले मुख्य न्यासी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाये तो उनके विधिक उत्तराधिकारियों स्वमेव न्यास के मुख्य न्यासी हो जायेंगे, किन्हीं परिस्थिति में यदि एक से ज्यादा विधिक उत्तराधिकारी हों तो उनमें से मुख्य न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उनकी योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुये की जायेगी।

ख. मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता आदि की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित न्यासी मुख्य न्यासी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होंगे।

ग. न्यास मण्डल के किसी अन्य सदस्यों को उनके द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के हितों के विपरीत आचरण करने जैसी दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हें न्यास से पृथक कर दिया जायेगा। और उनके स्थान पर सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को न्यास मण्डल की सहमति से न्यासी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा।

घ. यदि कोई न्यासी उपरोक्त रूप से न्यास से पृथक नहीं किया जाता है यदि उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा और उनकी मृत्यु या स्वेच्छया पद त्याग करने की स्थिति में मुख्य न्यासी उनके विधिक उत्तराधिकारी को न्यास मण्डल की राय से न्यासी के रूप में सम्मिलित करने का अधिकार होगा। न्यास के किसी विधिक उत्तराधिकारी के न्यास मण्डल

Scanned with OKEN Scanner

3.6.[illegible] 100/-

जिला

विजेन्द्र बहादुर सिंह

22-11-07

न्यायिक पत्र

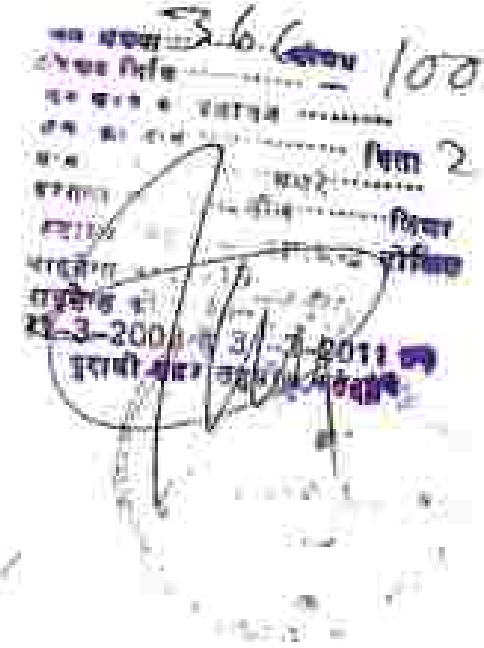

-3-200[illegible] से 31-3-2011 तक

Scanned with OKEN Scanner

100Rs.
INDIA NON JUDICIAL
१००रु
R 100
भारत
एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

सभी न्यासियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक में अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

ग. वार्षिक बैठक में न्यास के साल भर के क्रिया कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर न्यास का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित निश्चय एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

न्यास का कोष –

क. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क नेटवर्क के सम्बन्ध में प्राप्त योगदान, दान, अनुदान, चन्दा एवं सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से प्राप्त राशियां एवं ली गयी ऋण राशियां निहित होगी।

ख. न्यास के कोष की व्यवस्था के लिये न्यास का खाता किसी डाकघर, या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त बैंक में खोला जायेगा जिसका संचालन मुख्य न्यासी द्वारा स्वयं अकेले अथवा उसी के द्वारा नामित किसी अन्य न्यासी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

न्यास के अभिलेख – न्यास के अभिलेखों को तैयार करने, रखने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य न्यास का होगा। मुख्य न्यासी द्वारा मुख्य रूप से न्यास के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखा का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

6. न्यास की सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी।

क. यह कि न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं व बैंकों इत्यादि से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और अन्य किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में न्यास की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य न्यासी व एक अन्य न्यासी जिसे मुख्य न्यासी नामित करेगा अधिकृत होंगे।

ख. यह कि मुख्य न्यासी की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या विकसित कर या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण व आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। न्यास मण्डल, न्यास की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को गिरवी रख सकेगा या बेच सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

367

1002 जितेन्द्र बहादुर सिंह

22-11-07

न्याय पत्र

31-3-2006 से 31-3-2011 तक

Scanned with OKEN Scanner

50 Rs.

पचास रुपये

INDIA

FIFTY RUPEES

ग. यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील न्यास मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

1. न्यास के आय व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य न्यासी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

2. न्यास द्वारा या न्यास के विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से की जायेगी जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।

3. न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तें एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से सभी उनके कार्यों को करेगा तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त न्यास अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रति दिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

4. न्यास मण्डल, न्यास के लिये वह भी कार्य करेगी जो न्यास के हितों के लिये आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

5. न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसकी बाबत भी यह शर्तें लागू होंगी।

6. इस विलेख द्वारा किसी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

लिहाजा यह न्यासनामा होश हवास अपने बिना किसी भय या दबाव के अपनी खुशी व रजामन्दी से [illegible] सिंह भदौरिया एजुकेशनल वेल फेयर ट्रस्ट के गठन व स्थापना के बाबत यह न्यास पत्र निष्पादित कर लिख और हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

दिनांक : 22.11.2007

ह0 गवाहान्: बीरेन्द्र सिंह

पुत्र राजाराम सिंह

ग्राम ... बरुआ

(2) बालकुमार पुत्र

भागवत सिंह

बरुआ

Scanned with OKEN Scanner

268

50 रु

22-11-07

11-3-2006 से 31-3-2011 तक

Scanned with OKEN Scanner

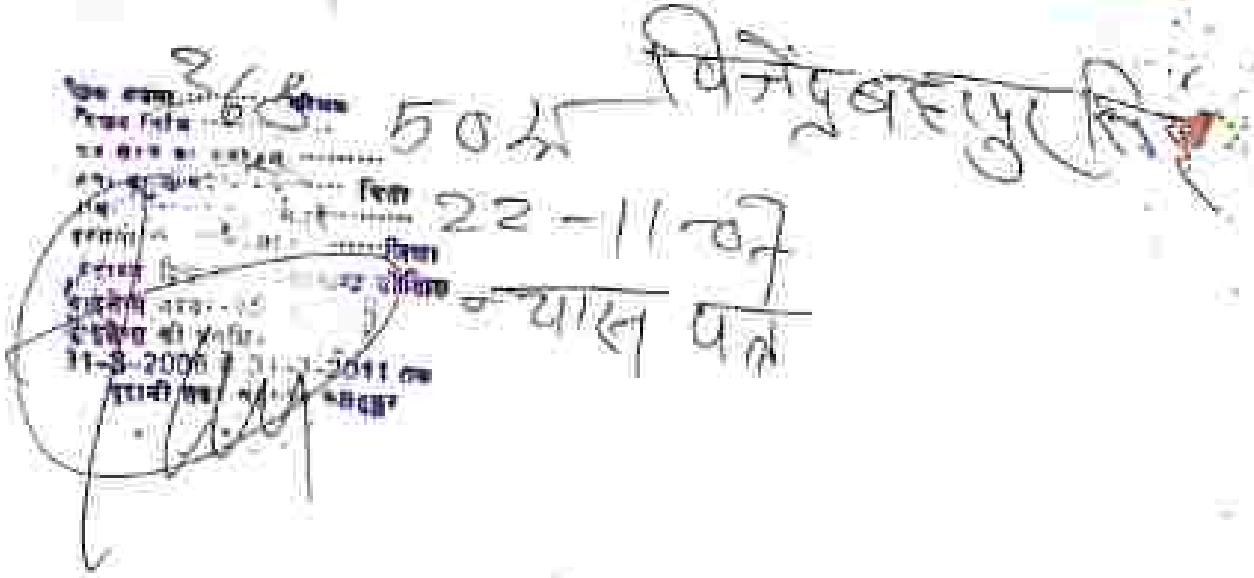

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा ए० के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुत कर्ता / विक्रेता का नाम व पता... विजेन्द्र बहादुर सिंह पु० प्रताप सिं[illegible]
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह [illegible]

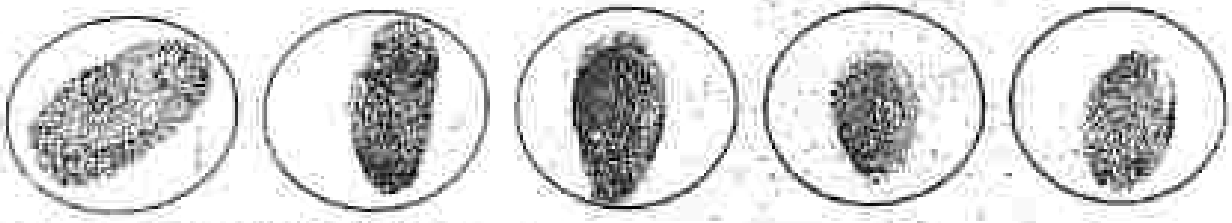

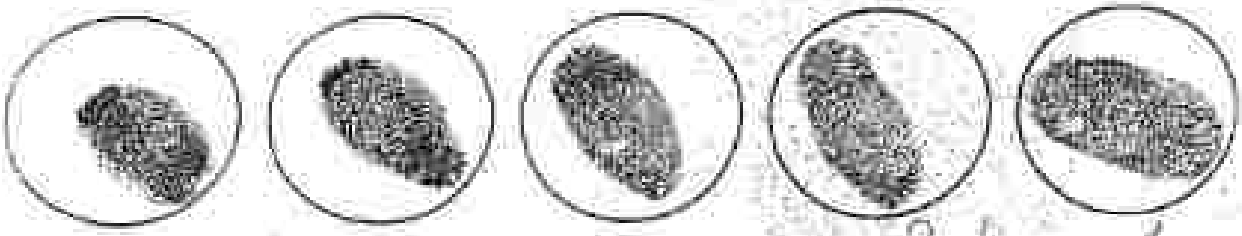

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विजेन्द्र बहादुर सिंह

प्रस्तुत कर्ता विक्रेता / क्रेता का हस्ताक्षर

प्रस्तुत कर्ता / विक्रेता का नाम व पता...

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

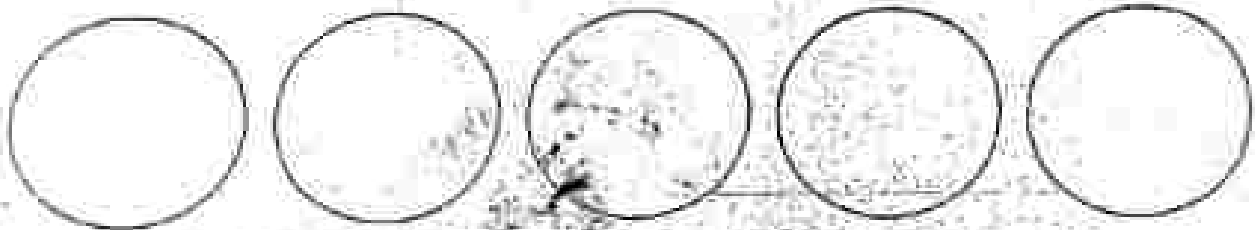

विक्रेता / क्रेता का हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक **22/11/2007** को

बही सं **4** जिल्द सं **154**

पृष्ठ सं **379** से **396** पर क्रमांक **37**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

डॉ० हर्ष नारायण सिंह
उप निबन्धक
सदर फतेहपुर
22/11/2007

Scanned with OKEN Scanner

क्र 43/07

50 Rs.

पचास रुपये

INDIA

FIFTY RUPEES

50 Rs

पूरक विलेख

मै जितेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व0 प्रताप सिंह निवासी ग्राम बहुआ जिला फतेहपुर का हूँ। विदित हो कि मैने दिनांक– 22.11.2007 को न्यास पत्र स्व0 प्रताप सिंह भदौरिया एजूकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के हक में न्यास पत्र लिखा था जिसका क्रमांक IV 37/07 बही सं0–4 जिल्द 154 पृष्ठ सं0 379 से 398 क्रमांक 37 पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय फतेहपुर में दर्ज है। जिसमें " ये सम्मिलित होकर उनके द्वारा कार्य करने में असमर्थता जाहिर करने पर न्यास मण्डल द्वारा किसी अन्य किसी भी व्यक्ति को न्यास मण्डल का सदस्य बनाया जा सकेगा। न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक आवश्यक होगी तथा वार्षिक बैठक में न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं समितियों तथा नेटवर्क कार्यक्रमों के प्रबन्धक/सचिव व प्रधान तथा अन्य पदाधिकारी गण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व न्यास सचिव द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त " का लिखा जाना छूट गया था। जिसका लिखा जाना आवश्यक है। जिसके न लिखे जाने से प्रथम विलेख अपूर्ण है। जिसकी पूर्ति के लिए उक्त का लिखा जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रथम विलेख में उक्त का लिखना प्रथम विलेख में आवश्यक है। तथा यह प्रथम विलेख के साथ पत्र लिखा पढ़ा व समझा जायेगा। इस विलेख को लिखे जाने से स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क में कोई अन्तर नहीं होगा केवल प्रथम विलेख के पूरक विलेख के रूप में यही विलेख पढ़ा एवं समझा जायेगा। अतएव शुद्ध चित्त स्थिर बुद्धि की दशा में यह पूरक विलेख लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे तथा यह पूरक विलेख प्रथम विलेख द0 नं0 37/07 का ही अंग होगा।

ह0 [signature]

गवाह नं0–1 [signature]

गवाह नं0–2 [signature]

Scanned with OKEN Scanner

100.00	20	120.00	800
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती वितेन्द्र बहादुर सिंह
पुत्र / पत्नी श्री प्रताप सिंह
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी बहुआ [illegible] फतेहपुर
अस्थायी पता स्वयं
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/12/2007 समय 4:47PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

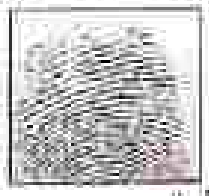

डॉ0 हर्ष नारायण सिंह
उप निबन्धक
सदर फतेहपुर
24/12/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त
प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष
श्री/श्रीमती वितेन्द्र बहादुर सिंह
पुत्र/पत्नी श्री प्रताप सिंह
पेशा व्यापार
निवासी बहुआ [illegible] फतेहपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री बाल कुमार
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]
व श्री के पी सिंह
पुत्र श्री [illegible] बहादुर सिंह
पेशा [illegible]
निवासी
ने की।

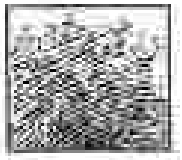

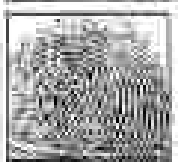

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

डॉ0 हर्ष नारायण सिंह
उप निबन्धक
सदर फतेहपुर
24/12/2007

Scanned with OKEN Scanner

50 Rs.

दिनांक 24/12/07

[illegible]
के. जी. [illegible]

विमलेश चन्द्र [illegible]

बालकुमार पुत्र भगवान
बहुआ
के. जी. [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]

2012-2011

[illegible]

Registration No 41 Year 2007 Book No. 1

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

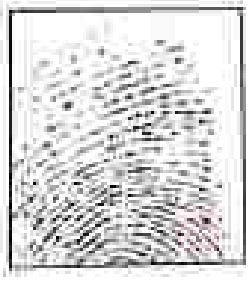

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा ए0 के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुत कर्ता/विक्रेता का नाम व पता......

बांये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह -

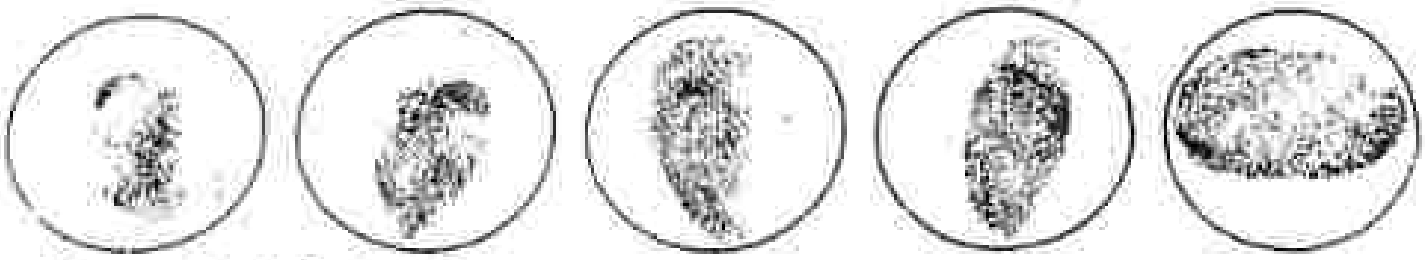

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह -

प्रस्तुत कर्ता/विक्रेता का नाम व पता......

प्रस्तुत कर्ता विक्रेता/क्रेता का हस्ताक्षर

बांये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह -

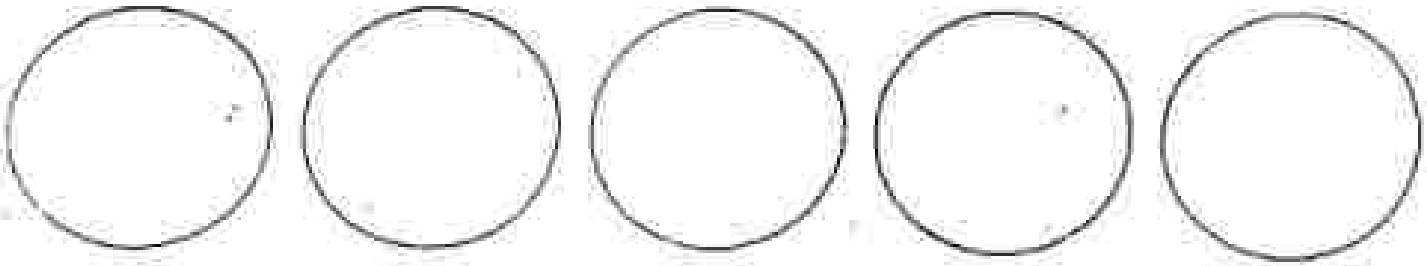

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह

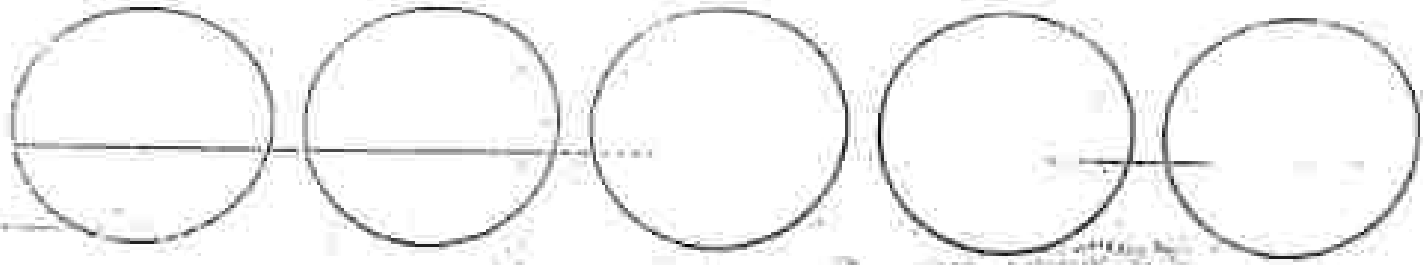

विक्रेता/क्रेता का हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक **24/12/2007** को

बही सं **1** जिल्द सं **155**

पृष्ठ सं **237** से **242** पर क्रमांक **43**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

डॉ0 हर्ष नारायण सिंह
उप निबन्धक
सदर फतेहपुर
24/12/2007

Scanned with OKEN Scanner

1793/11

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

FIFTY RUPEES

Rs.50

01 FEB 2011

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 000757

(1)

पूरक विलेख

मैं कि विजेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व0 प्रताप सिंह निवासी नगर पंचायत बहुआ मो0 21, जवाहर नगर जिला फतेहपुर उ0प्र0 (मुख्य न्यासी) का हूं। विदित हो कि मैंने दिनांक 22.11.2007 को न्यास पत्र स्व0 प्रताप सिंह भदौरिया एजुकेशनल वेल्फेयर ट्रस्ट के हक में न्यास पत्र लिखा था, जिसका दस्तावेज नं0 37/07 बही नं0 4 जिल्द नं0 154 पृष्ठ सं0 379/396 उपनिबन्धक कार्यालय फतेहपुर सदर में दर्ज है। जिसमें अन्तर्गत धारा–5 पठित धारा–6 सपठित धारा–1–इण्डियन ऐट 1882 एवं इस न्यासपत्र का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं बल्कि सामाजिक उत्थान का कार्य किया जाना है। उपरोक्त का लिखा जाना न्यासपत्र में छूट गया था, जिसका लिखा जाना न्यासपत्र में अतिआवश्यक है। जिसके न लिखे जाने से न्यासपत्र प्रथम विलेख अपूर्ण है। जिसकी पूर्ति के लिए उक्त का लिखा जाना अति आवश्यक

Scanned with OKEN Scanner

1413 13/3/11

1-4-2009 31-3-2014

मुख्त. विलेख

मकान [illegible] अनुसूचित [illegible]

[illegible] द्वारा विनोद बहादुर [illegible]

पुत्र स्व० प्रताप सिंह नि० [illegible]

मो० [illegible] नगर जिला [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

01 FEB 2011

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 000737

(2)

है। तथा यह प्रथम विलेख के साथ पूरक विलेख लिखा पढ़ा व समझा जायेगा। इस पूरक विलेख को लिखे जाने से स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क में कोई अन्तर नही होगा। केवल प्रथम विलेख के पूरक विलेख के रूप में यही विलेख पढ़ा एवं समझा जायेगा। अतएवं शुद्ध चित्त एवं स्थिर बुद्धि की दशा में यह पूरक विलेख लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे, तथा यह पूरक विलेख प्रथम विलेख दस्तावेज नं० 37/7 का ही अंग होगा।

ह० मुख्य न्यासी

गवाह

गवाह

तारीख तहरीर 17.02.2011

मुसविदा कर्ता

जय बिहारी श्रीवास्तव

एडवोकेट

5|5

[illegible] 17|3|14 मुख्तार नामा

[illegible]

[illegible] बेनुमदा ऐज मि द्वारा विजेन्द्र बहादुर सिंह

[illegible]

[illegible] 25

[illegible] 1.0 [illegible] 11.3.2014

[illegible]

विक्रेता

100.00	20	120.00	800
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	[illegible]

श्री विजेन्द्र बहादुर सिंह (मुख्तार आम)

पुत्र श्री [illegible] सिंह

व्यवसाय [illegible]

निवासी [illegible] नगर [illegible] फतेहपुर

[illegible]

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 17/02/2011 समय [illegible]

को निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बाल्मीक त्रिपाठी
उप निबन्धक
सदर फतेहपुर
17/02/2011

[illegible]

[illegible] द्वितीय पक्ष

श्री विजेन्द्र बहादुर सिंह (मुख्तार आम)
पुत्र श्री [illegible] सिंह
पेशा [illegible]
निवासी [illegible] नगर [illegible] फतेहपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया।

[illegible] श्री दिनेश कुमार
पुत्र श्री [illegible] प्रसाद
पेशा [illegible]
निवासी [illegible] फतेहपुर
व श्री [illegible]

पेशा [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बाल्मीक त्रिपाठी
उप निबन्धक
सदर फतेहपुर
17/02/2011

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्ट्रेशन अधि० १९०८ की धारा ३२ के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्टर्स

प्रस्तुत कर्ता /विक्रेता का नाम व पता जितेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व० प्रताप सिंह
निवासी नगर पंचायत बहुआ मोहल्ला ... जनपद ... जिला फतेहपुर

बायें हाथ के अगुलियों के चिन्ह-

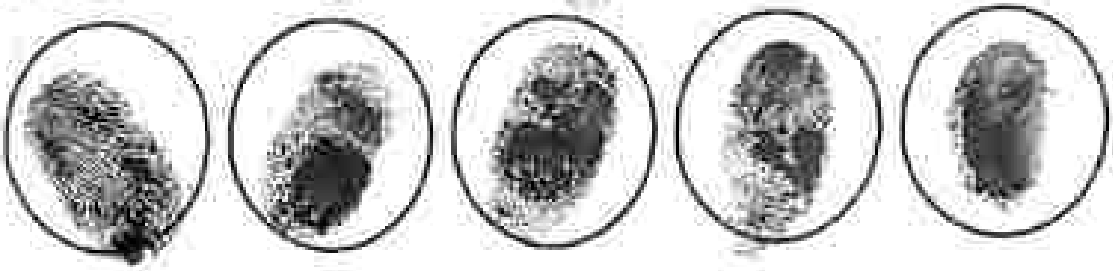

दाहिने हाथ की अगुलियो के चिन्ह-

प्रस्तुत कर्ता विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर
जितेन्द्र बहादुर सिंह

प्रस्तुत कर्ता /विक्रेता का नाम व पता...

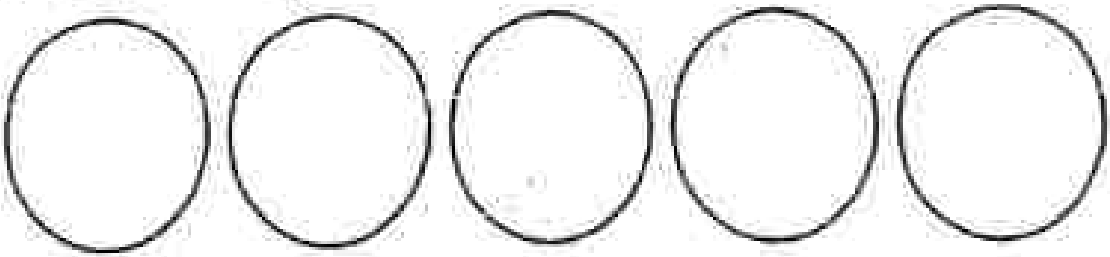

....

बायें हाथ के अगुलियो के चिन्ह-

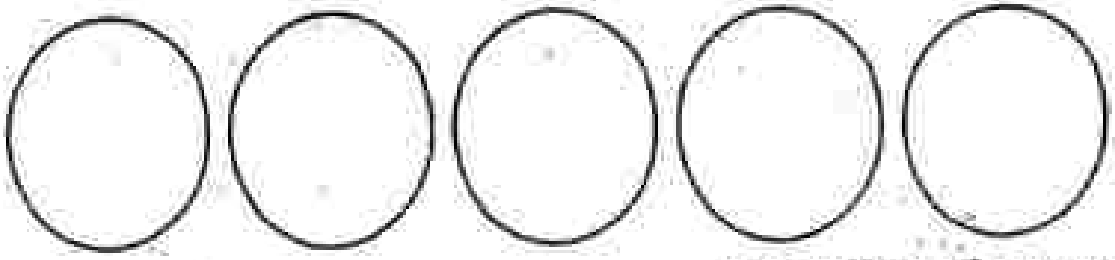

दाहिने हाथ की अगुलियो के चिन्ह-

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

प्रथम पक्ष

Registration No.: 1793 Year: 2,011 Book No.: 1

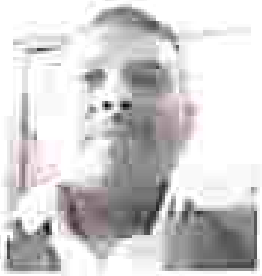

0101 वितेन्द्र बहादुर सिंह (पुत्र भ्राता)

अ0 कृष्ण सिंह

27-आवास नगर महुआ फतेहपुर

व्यवसाय

आज दिनांक **17/02/2011** को

बही सं **1** जिल्द सं **5751**

पृष्ठ सं **41** से **46** पर क्रमांक **1793**

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बाल्मीकि त्रिपाठी

उप निबन्धक

सदर फतेहपुर

17/2/2011

Scanned with OKEN Scanner